सं. ई.11016/01/2017-हिन्दी /15984-1673

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकः 16 जुलाई, 2018

विषय :- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2018 को हुई 73वीं बैठक का कार्यवृत्त।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2018 को हुई 73वीं बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

जल संसाधन नदी, विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों/संबंद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णयों/दिए गए सुझावों के संबंध में कृपया आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

16/7/2018
(वीना सत्यवादी)
सहा. निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23719033

संलग्नक:- यथोपरि

सेवा में-

1. समिति के सभी सदस्य।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संगठन।
4. उप सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव (पी.पी.), ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के निजी सचिव।

सं. ई.11016/01/2017-हिन्दी

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2018 को हुई 73वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 73वीं बैठक श्री बी.बी. शर्मा, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2018 को 11.30 बजे (पूर्वाह्न) मंत्रालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

2. बैठक के प्रारंभ में, श्री एम.सी. भारद्वाज, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची मदों के आधार पर, विधिवत रूप से बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कार्यसूची की मद संख्या-1 के तहत दिनांक 26.03.2018 को संपन्न समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई पर चर्चा करने को कहा। संयुक्त निदेशक (रा.भा.) ने पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर चर्चा शुरू की। पिछले कार्यवृत्त के संबंध में अधिकतर कार्यालयों से अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में मंत्रालय के सभी अनुभागों एवं संबंधित संगठनों में धारा 3(3) और नियम 5 के शत-प्रतिशत अनुपालन पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में मंत्रालय के सभी अनुभागों एवं संबंधित संगठनों में धारा 3(3) और नियम 5 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है जिसका भविष्य में भी शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए । डायरी/डिस्पेच करते समय रजिस्टरों में "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों का उल्लेख किया जाए और तिमाही प्रगति रिपोर्ट में ई-मेल से भेजे गए पत्राचार के आंकड़े भी शामिल किए जाएं। ई-मेल से पत्र भेजते समय भी यथासंभव हिन्दी में पत्राचार किया जाए। यह निदेश दिया गया कि कार्यवृत्त प्राप्त होने पर उसकी अनुपालना रिपोर्ट तथा तिमाही रिपोर्ट समय पर मंत्रालय को भेजना अवश्य सुनिश्चित करें ।

(कार्रवाई - मंत्रालय के सभी अनुभाग और सभी अधीनस्थ कार्यालय)

(क) मूल पत्राचार - मूल पत्राचार के विषय में चर्चा के दौरान समिति को बताया गया कि मंत्रालय के कई अनुभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मूल पत्राचार का प्रतिशत इस तिमाही में काफी संतोषजनक रहा है। कई अनुभागों ने पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में हिंदी के कार्य के प्रति काफी गंभीरता दिखाई है, यह सराहनीय प्रयास है। लेकिन सतर्कता, स्थापना-I, स्थापना-II, सामान्य प्रशासन, समन्वय, एसपीआर, ब्रह्मपुत्र एवं बराक, कमान क्षेत्र विकास आदि अनुभागों में मूल पत्राचार का प्रतिशत काफी कम है, जिससे समग्र रुप में मंत्रालय के प्रतिशत पर प्रभाव पड़ता है। कुछ अनुभागों जैसे लघु सिंचाई, पेन रीवर, समन्वय आदि अनुभागों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन दोनो मदों को गंभीरता लेते हुए आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी ने अ.शा पत्र लिखने का निर्देश दिया।

इसके पश्चात हिन्दी के प्रयोग की अधीनस्थ कार्यालय-वार तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा की गई। अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के पत्राचार की स्थिति पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अधिकतर कार्यालयों द्वारा हिन्दी के कार्य के प्रति गंभीरता प्रशंसनीय है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यालयों जैसे एनएमसीजी, नेरीवलम, फरक्का बैराज परियोजना, ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि में सुधार की आवश्यकता है। भविष्य में हिंदी के प्रति गंभीरता को बरकरार रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में किए जाएं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड और नेरीवलम से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसे गंभीरता से लेते हुए आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी ने संबंधित कार्यालयों को अ.शा. पत्र लिखने का निर्देश दिया। नेरीवलम, तेजपुर में हिन्दी के पदों के संबंध में चर्चा की गई और इस संबंध में अनुस्मारक पत्र लिखने तथा अगले तिमाही में निरीक्षण का निर्देश दिया गया।

(कार्रवाई - मंत्रालय के सभी संबंधित अनुभाग/अधीनस्थ कार्यालय)

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी का प्रयोग- आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने कहा कि उच्च अधिकारियों को कार्यालय में हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और अपने स्तर पर भी ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करना चाहिए, ताकि उनके अधीनस्थ अधिकारी हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए गंभीर रहें। उपस्थित सदस्यों ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई और यह सुझाव दिया गया कि यथासंभव अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र हिन्दी में/द्विभाषी रूप में ही भेजे जाएं।

(ग) तिमाही बैठक में सदस्यों की उपस्थिति और समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजना -बैठक में समिति के सभी सदस्यों के उपस्थिति न रहने को अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे तिमाही बैठकों में अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करें और सहायक निदेशक (रा.भा.) को यह निर्देश दिया कि लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों को अध्यक्ष महोदय की ओर से पत्र लिखा जाए।

(कार्रवाई - समिति के सभी सदस्य/हिन्दी अनुभाग)

(ङ) वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 के लक्ष्यों पर चर्चा - बैठक में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से कहा कि वे अपने-अपने अनुभागों/कार्यालयों में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2018-19 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास करें और समय-समय पर हुई प्रगति से मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग को अवगत कराएं।

(कार्रवाई - मंत्रालय के सभी अनुभाग/संगठन)

3. अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

*****

अनुबंध

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2018 को आयोजित 73वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1. श्री बी.बी शर्मा, आर्थिक सलाहकार एवं रा.भा. प्रभारी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय- अध्यक्ष।
2. श्री एम.सी. भारद्वाज, संयुक्त निदेशक (रा.भा.), ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
3. श्री सी.एच. डेविड, संयुक्त निदेशक, योजना इकाई, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
4. श्री बिरजू लाल मीना, अवर सचिव, बी.एण्ड.बी. विंग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय ।
5. श्री डी.के. सेठी, उप-प्रबंधक (रा.भा.) वाप्कोस लिमिटेड, गुरूग्राम।
6. श्री सुरेश चन्द शर्मा, उप प्रबंधक (हिंदी), एनपीसीसी, गुरूग्राम।
7. श्री राजवीर सिंह, उपआयुक्त (सिंधु), सिंधु स्कंध, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
8. श्री एस. के. बास, अवर सचिव (पीपी), पीपी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
9. श्री एस. नटराजन, अनुभाग अधिकारी, सिंधु स्कंध, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
10. श्री संतोष प्रसाद, अनुभाग अधिकारी, ई-।।। अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय।
11. श्री शंकर कुमार साह, अनुभाग अधिकारी, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
12. श्री नन्द किशोर, अनुभाग अधिकारी, पीएसयू, ज.सं. न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
13. सुश्री रजिन्दर पाल, सहायक निदेशक (रा.भा) केन्द्रीय जल आयोग।
14. सुश्री अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (रा.भा.), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली।
15. श्रीमती वीना सत्यवादी, सहायक निदेशक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
16. श्रीमती श्रद्धा माथुर, सहायक निदेशक, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
17. श्री अनिल कुमार लखानी, वरिष्ठ अनुवाद, सीएमएमआरएस, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
18. श्री सुरेश चन्द्र, लेखाकार, प्रधान लेखा कार्यालय, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय
19. श्री सोनू कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, एनएमसीजी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
20. श्री केतन, पेन रिवर अनुभाग, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
21. श्री विशाल शर्मा, सामान्य प्रशासन अनुभाग, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय
22. श्री बलबीर सिंह गोधवाल, अनुभाग अधिकारी, समन्वय अनुभाग, ज.सं.,न.वि.और गं.सं. मं।
23. श्री उपेन्द्र साह, जे.एस.ए., स्थापना-IV, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
24. श्री सोनू तिवारी, लेखाकार, प्रधान लेखा कार्यालय, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।
25. श्री अमोद कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, स्था-।, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय।

******